



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-25072022-237557
CG-MH-E-25072022-237557

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 25, 2022/श्रावण 3, 1944

No. 371]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 25, 2022/SHRAVANA 3, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

सुंबई, 25 जुलाई, 2022

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2022

फा. सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/88.—बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क की उप-धारा (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में,-

I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,

- खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(ज) निर्धारित प्रतिभूतियों" (डेज़िग्रेटेड सिक्यूरिटीज़) का अर्थ है - विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ (स्पेसिफाइड सिक्यूरिटीज़), असंपरिवर्तनीय ऋण (नॉन-कन्वर्टिबल डैट) प्रतिभूतियाँ, असंपरिवर्तनीय मोचनीय (नॉन-कन्वर्टिबल रिडीमेबल) अधिमानी (प्रेफरेंस) शेयर, बेमीयादी ऋण लिखत (पर्पेचुअल डैट इंस्ट्रूमेंट), बेमीयादी असंचयी (पर्पेचुअल नॉन क्यूम्यूलेटिव) अधिमानी शेयर, भारतीय निक्षेपागार रसीदें (डिपॉज़िटरी रिसीट्स / आईडीआर), प्रतिभूत ऋण लिखत (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इंस्ट्रूमेंट), प्रतिभूति रसीदें (सिक्यूरिटीज़ रिसीट्स), म्यूचुअल फंडों (पारस्परिक निधियों) द्वारा जारी की गई यूनितें, ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिन्सिपल वाले लिखत (इंस्ट्रूमेंट्स) और बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य प्रतिभूतियाँ;"

ii. खंड (यड) के बाद, निम्नलिखित खंड (यण) जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(यण) शब्दों "लाभ कमाने के उद्देश्य से बने सामाजिक उद्यम", "लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठन", "सामाजिक उद्यम" (सोशल एंटरप्राइस), "सोशल स्टॉक एक्सचेंज", "पैसा जुटाने संबंधी प्रारूप (ड्राफ्ट) दस्तावेज", "पैसा जुटाने संबंधी अंतिम दस्तावेज", "पैसा जुटाने संबंधी दस्तावेज", "सामाजिक लेखापरीक्षक" (सोशल ऑडिटर) और "सामाजिक लेखापरीक्षा करने वाली फर्म" (सोशल ऑडिट फर्म) के वही अर्थ होंगे, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में उनके लिए दिए हुए हैं;"

II. अध्याय-IX के बाद तथा अध्याय-X से पहले, निम्नलिखित अध्याय-IX-क जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"अध्याय - IX-क

सामाजिक उद्यमों (सोशल एंटरप्राइस) की बाध्यताएँ

लागू होना

91क. इस अध्याय के प्रावधान:

- (क) ऐसे 'लाभ कमाने के उद्देश्य से बने सामाजिक उद्यम' के प्रति लागू होंगे, जिसकी निर्धारित प्रतिभूतियाँ (डेज़िग्रेटेड सिक्यूरिटीज़) स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के लागू खंड (सेगमेंट) में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों;
- (ख) ऐसे 'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठन' के प्रति लागू होंगे, जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के यहाँ रजिस्टर हो;

'लाभ कमाने के उद्देश्य से बने सामाजिक उद्यम' द्वारा किए जाने वाले प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र)

91ख. जिस 'लाभ कमाने के उद्देश्य से बने सामाजिक उद्यम' की निर्धारित प्रतिभूतियाँ स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, वह इन विनियमों में उन निर्गमकर्ताओं (इश्युअर्स) के संबंध में दी हुई प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाओं का पालन करेंगे जिनकी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ (स्पेसिफाइड सिक्यूरिटीज़), यथास्थिति, मुख्य बोर्ड पर या एसएमई एक्सचेंज में या इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों।

'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठन' द्वारा किए जाने वाले प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र)

91ग. (1) सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के यहाँ रजिस्टर 'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठन' [जिसमें ऐसा 'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बना संगठन' शामिल है जिसकी निर्धारित प्रतिभूतियाँ (डेज़िग्रेटेड सिक्यूरिटीज़) सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों] के लिए यह जरूरी होगा कि वह बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए विषयों पर, वित्तीय वर्ष के समाप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर या बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित अवधि के भीतर, सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को वार्षिक प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) करें।

(2) उप-विनियम (1) में जिन प्रकटीकरणों का उल्लेख है उनके अलावा, सोशल स्टॉक एक्सचेंज ऐसे विषय निर्धारित कर सकेगा (सकेंगे) जिनके संबंध में 'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठन' द्वारा वार्षिक आधार पर प्रकटीकरण किया जाएगा।

सामाजिक उद्यम द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) या स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को घटनाओं या सूचना की जानकारी देना और उसका प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) करना

91घ. (1) जिस सामाजिक उद्यम की निर्धारित प्रतिभूतियाँ (डेज़िग्रेटेड सिक्यूरिटीज़), यथास्थिति, सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) या स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, वह, यथास्थिति, अपने बोर्ड या प्रबंध-मंडल से

विधिवत् रूप से मंजूरी लेकर महत्ता को तय करने संबंधी नीति बनाएगा, जिसका प्रकटीकरण सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) या स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को किया जाएगा।

(2) इस विनियम के तहत कोई घटना या जानकारी महत्वपूर्ण है या नहीं यह तय करने उद्देश्य से और, यथास्थिति, सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) या स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को प्रकटीकरण करने के उद्देश्य से सामाजिक उद्यम का बोर्ड और प्रबंध-मंडल (मैनेजमेंट) अपने प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों को प्राधिकृत करेगा, और ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) के संपर्क संबंधी ब्यौरे भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) या स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को प्रकट किए जाएंगे।

(3) जिस सामाजिक उद्यम की निर्धारित प्रतिभूतियाँ (डेज़िग्रेटेड सिक्यूरिटीज़), यथास्थिति, सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) या स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, वह सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) या स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) [जहाँ, यथास्थिति, वह रजिस्टर हो या उसकी निर्धारित प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों] को ऐसी किसी घटना की जानकारी प्रकट करेगा जिसकी वजह से योजना के अनुसार जो वह करना चाहता था उस पर काफी असर पड़ सकता हो।

(4) उप-विनियम (3) में जो जानकारी प्रकट करने का उल्लेख किया गया है वह जानकारी घटना के घटित होने की तारीख से यथासंभव जल्द से जल्द किंतु अधिक से अधिक सात दिनों के भीतर या बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित अवधि के भीतर प्रकट की जाएगी, और जिसमें यह उल्लेख करते हुए घटना के ऐसे ब्यौरे भी दिए जाएंगे कि घटना के घटित होने से क्या-क्या असर पड़ सकता है और जिसे कम करने के लिए सामाजिक उद्यम द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

(5) सामाजिक उद्यम उप-विनियम (3) के अनुसार प्रकट की गई जानकारी में होने वाले किसी बदलाव की सूचना (जरूरी स्पष्टीकरणों के साथ) नियमित आधार पर तब तक देगा, जब तक कि संबंधित घटना महत्वपूर्ण बनी रहे।

(6) सामाजिक उद्यम, यथास्थिति, सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) या स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा किन्हीं घटनाओं या जानकारी के संबंध में पूछे गए सभी प्रश्नों के सटीक और पर्याप्त उत्तर देगा:

परंतु यह कि, यथास्थिति, सोशल स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज इस प्रकार दी जाने वाली जानकारी तथा इस प्रकार दिए जाने वाले स्पष्टीकरण को यथासंभव जल्द से जल्द प्रसारित करेगा (करेंगे)।

(7) रिपोर्ट की गई किसी घटना या जानकारी के संबंध में सामाजिक उद्यम *स्वप्रेरणा से*, यथास्थिति, सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) या स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को यह पुष्टि करेगा कि वह सही है या नहीं।

(8) सामाजिक उद्यम उन सभी घटनाओं या उस समस्त जानकारी को अपने वेबसाइट पर प्रकट करेगा, जो इस विनियम के तहत, यथास्थिति, सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) या स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को प्रकट की गई हो।

समाज को कितना फायदा पहुँचा इस संबंध में सामाजिक उद्यम द्वारा प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र)

91ड. (1) जो सामाजिक उद्यम या तो, यथास्थिति, सोशल स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ रजिस्टर हो या फिर जिसने, यथास्थिति, सोशल स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज के जरिए पैसा (फंड) जुटाया हो, उसके लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज को बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले फॉर्मेट में 'समाज को कितना फायदा पहुँचा इसकी वार्षिक रिपोर्ट' (एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट) प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

(2) 'समाज को कितना फायदा पहुँचा इसकी वार्षिक रिपोर्ट' (एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट) की लेखापरीक्षा (ऑडिट) किसी ऐसे सोशल ऑडिट फर्म (सामाजिक लेखापरीक्षा करने वाली फर्म) द्वारा की जाएगी, जिसके यहाँ सोशल ऑडिटर (सामाजिक लेखापरीक्षक) कार्यरत हो।

(3) सोशल स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों के अलावा भी और मानदंड निर्धारित कर सकेगा (सकेंगे), जिनकी जानकारी सामाजिक उद्यम द्वारा वार्षिक आधार पर प्रकट की जाएगी।

पैसों (फंड) का उपयोग किए जाने के संबंध में विवरण

91च. (1) सूचीबद्ध (लिस्टिड) "लाभ न कमाने के उद्देश्य से बना संगठन" जुटाए गए पैसों के उपयोग के संबंध में सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को निम्नलिखित विवरण, तिमाही आधार पर प्रस्तुत करेगा:-

(क) कितनी रकम जुटाई गई (श्रेणी के अनुसार);

(ख) कितनी रकम का उपयोग किया गया (श्रेणी के अनुसार);

(ग) कितनी रकम शेष रह गई।

(2) जिस रकम का उपयोग न किया गया हो उसे एक अलग बैंक खाते में रखा जाएगा, और उसे दूसरे फंड के साथ नहीं मिलाया जाएगा।

(3) उप-विनियम (1) के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण तब तक प्रस्तुत किए जाते रहेंगे, जब तक निर्गम (इश्यू) से आए समस्त पैसों (फंड) का पूरी तरह से इस्तेमाल न कर लिया जाए या वह उद्देश्य पूरा न हो जाए जिसके लिए वे पैसे जुटाए गए थे।”

माधवी पुरी बुच, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./192/2022-23]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013, 2 सितम्बर 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 तत्पश्चात् :
 - क) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/027, द्वारा
 - ख) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/001, द्वारा
 - ग) 8 जुलाई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/008, द्वारा
 - घ) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/025, द्वारा
 - ङ) 15 फरवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/29, द्वारा
 - च) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित], द्वारा
 - छ) 9 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. एसईवीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/10, द्वारा
 - ज) 30 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/13, द्वारा

- ब) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/22, द्वारा
- भ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
- म) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/35, द्वारा
- य) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/42, द्वारा
- कक) 7 सितम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/47, द्वारा
- खख) 9 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/55, द्वारा
- गग) 24 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/66, द्वारा
- घघ) 22 मार्च, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/76, द्वारा
- ङङ) 11 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/79, द्वारा
- चच) 25 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/80, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th July, 2022

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (FIFTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/88.—In exercise of the powers conferred by section 11, sub-section (2) of section 11A and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2022.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015—
 - I. In regulation 2, in sub-regulation (1),
 - i. in clause (h), after the words and symbol “mutual funds,” and before the words “and any other”, the words “Zero Coupon Zero Principal Instruments” shall be inserted.
 - ii. after clause (zn), the following clause (zo) shall be inserted namely,—

“(zo) the expressions “For Profit Social Enterprise”, “Not for Profit Organization”, “Social Enterprise”, “Social Stock Exchange”, “draft fund raising document”, “final fund raising document”, “fund raising document”, “Social Auditor” and “Social Audit Firm” shall have the same meaning as assigned to them in the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulation, 2018;”
 - II. after Chapter IX and before Chapter X, the following Chapter IX-A shall be inserted namely,—

“CHAPTER IX-A

OBLIGATIONS OF SOCIAL ENTERPRISES

Applicability

91A. The provisions of this Chapter shall apply to:

- (a) a For Profit Social Enterprise whose designated securities are listed on the applicable segment of the Stock Exchange(s);
- (b) a Not for Profit Organization that is registered on the Social Stock Exchange(s);

Disclosures by a For Profit Social Enterprise.

91B. A For Profit Social Enterprise whose designated securities are listed on the Stock Exchange(s) shall comply with the disclosure requirements contained in these regulations with respect to issuers whose specified securities are listed on the Main Board or the SME Exchange or the Innovators Growth Platform, as the case may be.

Disclosures by a Not for Profit Organization.

91C. (1) A Not for Profit Organization registered on the Social Stock Exchange(s), including a Not for Profit Organization whose designated securities are listed on the Social Stock Exchange(s), shall be required to make annual disclosures to the Social Stock Exchange(s) on matters specified by the Board, within 60 days from the end of the financial year or within such period as may be specified by the Board.

(2) In addition to the disclosures referred in sub-regulation (1), the Social Stock Exchange(s) may specify matters that shall be disclosed by the Not for Profit Organization on an annual basis.

Intimations and disclosures by Social Enterprise of events or information to Social Stock Exchange(s) or Stock Exchange(s)

91D. (1) A Social Enterprise whose designated securities are listed on the Social Stock Exchange(s) or the Stock Exchange(s), as the case may be, shall frame a policy for determination of materiality, duly approved by its board or management, as the case may be, which shall be disclosed on the Social Stock Exchange(s) or the Stock Exchange(s).

(2) The board and management of the Social Enterprise shall authorize one or more of its Key Managerial Personnel for the purpose of determining materiality of an event or information and for the purpose of making disclosures to the Social Stock Exchange(s) or the Stock Exchange(s), as the case may be, under this regulation and the contact details of such personnel shall also be disclosed to the Social Stock Exchange(s) or the Stock Exchange(s).

(3) A Social Enterprise whose designated securities are listed on the Social Stock Exchange(s) or the Stock Exchange(s), as the case may be, shall disclose to the Social Stock Exchange(s) or the Stock Exchange(s) where it is registered or has listed its specified securities, as the case may be, any event that may have a material impact on the planned achievement of outputs or outcomes.

(4) The disclosure referred in sub-regulation (3) shall be made as soon as reasonably possible but not later than seven days or within such period as may be specified by the Board, from the occurrence of the event and shall comprise details of the event including the potential impact of the event and the steps being taken by the Social Enterprise to address the same.

(5) The Social Enterprise shall provide updates on a regular basis along with relevant explanations in respect of the disclosures required in sub-regulation (3) till the time the concerned event remains material.

(6) The Social Enterprise shall provide specific and adequate reply to all queries raised by the Social Stock Exchange(s) or the Stock Exchange(s), as the case may be, with respect to any events or information:

Provided that the Social Stock Exchange(s) or the Stock Exchange(s), as the case may be, shall disseminate the information and clarification as soon as reasonably practicable.

(7) The Social Enterprise may *suo moto* confirm or deny any reported event or information to Social Stock Exchange(s) or the Stock Exchange(s), as the case may be.

(8) The Social Enterprise shall disclose on its website all such events or information which have been disclosed to the Social Stock Exchange(s) or the Stock Exchange(s), as the case may be, under this regulation.

Disclosures by a Social Enterprise in respect of social impact

91E. (1) A Social Enterprise, which is either registered with or has raised funds through a Social Stock Exchange or a Stock Exchange, as the case may be, shall be required to submit an annual impact report to the Social Stock Exchange or the Stock Exchange in the format specified by the Board from time to time.

(2) The annual impact report shall be audited by a Social Audit Firm employing Social Auditor.

(3) The Social Stock Exchange(s) may specify parameters, in addition to those specified by the Board, which shall be required to be disclosed by a Social Enterprise on an annual basis.

Statement of utilisation of funds

91F. (1) A listed Not for Profit Organization shall submit to the Social Stock Exchange(s) the following statement in respect of utilisation of the funds raised, on a quarterly basis:-

- (a) category-wise amount of monies raised;
- (b) category-wise amount of monies utilised;
- (c) balance amount remaining unutilised.

(2) The unutilised amount shall be kept in a separate bank account and shall not be co-mingled with other funds.

(3) The statement required under sub-regulation (1) shall be given till the time the issue proceeds have been fully utilised or the purpose for which they were raised, has been achieved.”

MADHABI PURI BUCH, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./192/2022-23]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 2nd September 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013.
2. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, were subsequently amended on:
 - a) December 22, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/27.

- b) May 25, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/001.
- c) July 8, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/008.
- d) January 4, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/025.
- e) February 15, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/029.
- f) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016- 17/037 read with March 29, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.
- g) May 9, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/10.
- h) May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/13.
- i) June 1, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/21.
- j) June 8, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24.
- k) September 6, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/30.
- l) November 16, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/47.
- m) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/07.
- n) May 7, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/12.
- o) June 27, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/22.
- p) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/28.
- q) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/45.

- r) January 10, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/02.
- s) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide no. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- t) August 5, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/25.
- u) October 8, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/33.
- v) January 8, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/02.
- w) May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/22.
- x) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide notification no. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- y) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/35.
- z) August 13, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/42.
- aa) September 7, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/47.
- bb) November 9, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/55.
- cc) January 24, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/66.
- dd) March 22, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/76.
- ee) April 11, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/79.
- ff) April 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/80.